न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 260/2012

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
   जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मिसरिया पुत्र अमरा बावरी
2. कानाराम पुत्र गणेश
3. सोहनलाल पुत्र गणेश
   कौम-कुम्हार
4. मीठालाल पुत्र अनवार
5. सत्यानारायण पुत्र अनवार
6. हसिया पुत्र घासी
7. श्याम पुत्र घासी
   जातियान-हरिजन
   सा-आगेवा, तहसील-जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 29.11.2012**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/05/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत् बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 406 रकबा 13-06 बीघा किस्म बा0अ0 लगान 8.31 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 865 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 406 रकबा 13-06 बीघा किस्म बा0अ0 लगान 8.31 रुपये की आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21/11/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी का नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। पटवारी हल्का-आगेवा की फर्द मौका का अवलोकन किया गया। मौतबिरान के सामने फर्द मौका बनाई गई, जिसमें ख.नं. 406 रकबा 865 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 में मोबाईल टावर लगाना प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र–आगेवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा–आगेवा, तहसील–जैतारण में ख.नं. 406 रकबा 865 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–आगेवा, तहसील–जैतारण में ख.नं. 406 रकबा 865 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र–आगेवा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner